

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०,
विशाल कॉम्प्लेक्स,
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद - लखनऊ।

पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/PICU/40/2018-19/ 6335 - दिनांक 11/09/2018

विषय-डा० एस०पी०एम० चिकित्सालय लखनऊ में संचालित Pediatric Intensive Care unit (PICU) के संविदा मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/PICU/40/2017-18/4459, दिनांक 04.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय लखनऊ में स्थापित Paediatric Intensive Care Unit (PICU) में संविदा मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि एवं दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे।

वित्त पोषण

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 की आर०ओ०पी० में अनुमोदित PICU के एवं संविदा मानव संसाधन के मानदेय हेतु स्वीकृत धनराशि निम्नानुसार व्यय किया जाये।

- New FMR Code-8.1.9.1 पर संविदा बालरोग विशेषज्ञ (नवीन पदों) के मानदेय हेतु प्रति बालरोग विशेषज्ञ को रू० 71,500.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के लिये कुल रू० 8.58 लाख की धनराशि नीचे दी गयी तालिकानुसार स्वीकृत की जा रही है।
- संविदा चिकित्सा अधिकारी- New FMR Code-8.1.9.2 and old FMR Code- B.30.9.2 पर 03 संविदा चिकित्सा अधिकारी के मानदेय हेतु प्रति चिकित्साधिकारी को रू० 45,000/- प्रति माह की दर से 12 माह के लिये कुल रू० 16.20 लाख तथा राज्य स्तर पर निर्धारित मानकों के अनुसार परफारमेन्स बेस्ड इन्सेन्टिव (पी०बी०आई०) प्रदान किये जाने हेतु अधिकतम रू० 15000/- प्रतिमाह की दर से 12 माह के लिये रू० 5.40 लाख की धनराशि इस प्रकार कुल रू० 21.60 लाख की धनराशि नीचे दी गयी तालिकानुसार स्वीकृत की जा रही है।
- संविदा स्टाफ नर्स New FMR Code-8.1.9.3 and old FMR Code- B.30.9.3 पर 05 संविदा स्टाफ नर्स के मानदेय हेतु प्रति स्टाफ नर्स को रू० 20011.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के लिये कुल रू० 12.01 लाख की धनराशि नीचे दी गयी तालिकानुसार स्वीकृत की जा रही है।
- वार्ड आया (आउट सोर्सिंग के माध्यम) New FMR Code-8.1.9.4 and old FMR Code- B.30.9.4 पर 04 वार्ड आया के मानदेय हेतु प्रति वार्ड आया को रू० 8300.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के लिये कुल रू० 3.98 लाख की धनराशि नीचे दी गयी तालिकानुसार स्वीकृत की जा रही है।

उक्त के क्रम में स्वीकृत धनराशि का उपयोग जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं जिला कार्ययोजना (डैप) के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा।

Funds for Allocation Pediatric Intensive Care unit (PICU) 2018-19								
S. N.	New FMR Code	old FMR Code	Name of Unit PICU- SPM Hospital Lucknow	No	Unit rate	Months	Total funds Approved to DHS (in Rs)	
1	8.1.9.1		Salary of Peadiatrician @ Rs. 71500/month for 12 months	2	71500	6	858000	8.58
2	8.1.9.2	B.30.9.2	Base Salary of Medical officer @ Rs.45000 pm for 12 months	3	45000	12	1620000	21.60
			& performance based Incentive @ Rs. Rs 15000 pm for 12 months.	3	15000	12	540000	
3	8.1.9.3	B.30.9.3	Staff Nurse @20011/month for 12 month	5	20011	12	1200660	12.01
4	8.1.9.4	B.30.9.4	Ward Aaya@ Rs. 8300/month for 12 month	4	8300	12	398400	3.98
Total Fund Approved to DHS							4617060	46.17

मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को यथाशीघ्र निदेशक, एवं प्रमुख अधीक्षक, डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

PICU के संविदा कर्मियों को किसी अन्य स्थान पर कार्य करने के लिये न लगाया जाये। यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो चिकित्सालय के निदेशक, एवं प्रमुख अधीक्षक व्यक्तिगत रूप में जिम्मेदार होंगे।

नोट -

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति को शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
3. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
4. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये निदेशक, एवं प्रमुख अधीक्षक, एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
5. प्रत्येक माह PICU से मद वार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
6. धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व, व्यय विवरण तथा मद वार अवशेष धनराशि की जानकारी कर ली जाय। यदि धनराशि Revalidate की गयी है, तो उसका समय से उपयोग करने के उपरान्त, माँग के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाय। यदि धनराशि Unspent के रूप में है तो धनराशि को समायोजित करके इस वर्ष दी जा रही धनराशि की सीमा तक अवमुक्त की जाय।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012-13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/96-2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई-पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

आपको निर्देशित किया जाता है कि Paediatric Intensive Care Unit (PICU) की त्रैमासिक भौतिक प्रगति रिपोर्ट महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई-मेल-jdrchup@gmail.com एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ के ई-मेल-gmchildhealthnrhm@gmail.com पर वांछित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(पंकज कुमार)

मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद-लखनऊ।
6. निदेशक, एवं प्रमुख अधीक्षक, डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
7. मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०,
विशाल कॉम्प्लेक्स,
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद - लखनऊ।

पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/PICU/40/2018-19/

दिनांक // /09/2018

विषय-डा० एस०पी०एम० चिकित्सालय लखनऊ में संचालित Pediatric Intensive Care unit (PICU) के संविदा मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/PICU/40/2017-18/4459, दिनांक 04.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय लखनऊ में स्थापित Paediatric Intensive Care Unit (PICU) में संविदा मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि एवं दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे।

वित्त पोषण

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 की आर०ओ०पी० में अनुमोदित PICU के एवं संविदा मानव संसाधन के मानदेय हेतु स्वीकृत धनराशि निम्नानुसार व्यय किया जाये।

- New FMR Code-8.1.9.1 पर संविदा बालरोग विशेषज्ञ (नवीन पदों) के मानदेय हेतु प्रति बालरोग विशेषज्ञ को रू० 71,500.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के लिये कुल रू० 8.58 लाख की धनराशि नीचे दी गयी तालिकानुसार स्वीकृत की जा रही है।
- संविदा चिकित्सा अधिकारी- New FMR Code-8.1.9.2 and old FMR Code- B.30.9.2 पर 03 संविदा चिकित्सा अधिकारी के मानदेय हेतु प्रति चिकित्साधिकारी को रू० 45,000/- प्रति माह की दर से 12 माह के लिये कुल रू० 16.20 लाख तथा राज्य स्तर पर निर्धारित मानकों के अनुसार परफारमेन्स बेस्ड इन्सेन्टिव (पी०बी०आई०) प्रदान किये जाने हेतु अधिकतम रू० 15000/- प्रतिमाह की दर से 12 माह के लिये रू० 5.40 लाख की धनराशि इस प्रकार कुल रू० 21.60 लाख की धनराशि नीचे दी गयी तालिकानुसार स्वीकृत की जा रही है।
- संविदा स्टाफ नर्स New FMR Code-8.1.9.3 and old FMR Code- B.30.9.3 पर 05 संविदा स्टाफ नर्स के मानदेय हेतु प्रति स्टाफ नर्स को रू० 20011.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के लिये कुल रू० 12.01 लाख की धनराशि नीचे दी गयी तालिकानुसार स्वीकृत की जा रही है।
- वार्ड आया (आउट सोर्सिंग के माध्यम) New FMR Code-8.1.9.4 and old FMR Code- B.30.9.4 पर 04 वार्ड आया के मानदेय हेतु प्रति वार्ड आया को रू० 8300.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के लिये कुल रू० 3.98 लाख की धनराशि नीचे दी गयी तालिकानुसार स्वीकृत की जा रही है।

उक्त के क्रम में स्वीकृत धनराशि का उपयोग जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं जिला कार्ययोजना (डैप) के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा।

Funds for Allocation Pediatric Intensive Care unit (PICU) 2018-19								
S. N.	New FMR Code	old FMR Code	Name of Unit PICU- SPM Hospital Lucknow	No	Unit rate	Months	Total funds Approved to DHS (in Rs)	
1	8.1.9.1		Salary of Peadiatrician @ Rs. 71500/month for 12 months	2	71500	6	858000	8.58
2	8.1.9.2	B.30.9.2	Base Salary of Medical officer @ Rs.45000 pm for 12 months	3	45000	12	1620000	21.60
			& performance based Incentive @ Rs. Rs 15000 pm for 12 months.	3	15000	12	540000	
3	8.1.9.3	B.30.9.3	Staff Nurse @20011/month for 12 month	5	20011	12	1200660	12.01
4	8.1.9.4	B.30.9.4	Ward Aaya@ Rs. 8300/month for 12 month	4	8300	12	398400	3.98
Total Fund Approved to DHS							4617060	46.17

मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को यथाशीघ्र निदेशक, एवं प्रमुख अधीक्षक, डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

PICU के संविदा कर्मियों को किसी अन्य स्थान पर कार्य करने के लिये न लगाया जाये। यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो चिकित्सालय के निदेशक, एवं प्रमुख अधीक्षक व्यक्तिगत रूप में जिम्मेदार होंगे।

नोट -

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति को शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
3. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
4. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये निदेशक, एवं प्रमुख अधीक्षक, एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
5. प्रत्येक माह PICU से मद वार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
6. धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व, व्यय विवरण तथा मद वार अवशेष धनराशि की जानकारी कर ली जाय। यदि धनराशि Revalidate की गयी है, तो उसका समय से उपयोग करने के उपरान्त, माँग के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाय। यदि धनराशि Unspent के रूप में है तो धनराशि को समायोजित करके इस वर्ष दी जा रही धनराशि की सीमा तक अवमुक्त की जाय।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012-13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/96-2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई-पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

आपको निर्देशित किया जाता है कि Paediatric Intensive Care Unit (PICU) की त्रैमासिक भौतिक प्रगति रिपोर्ट महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई-मेल-jdrchup@gmail.com एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ के ई-मेल-gmchildhealthnrhm@gmail.com पर वांछित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद-लखनऊ।
6. निदेशक, एवं प्रमुख अधीक्षक, डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
7. मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ।


(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य